

03/04/24

पत्रा. पेश। दुई वकील पार्श्वीण उपास्थित विन्धेने  
आदेशीका पर अंकित करते हुए निवेदन किया  
कि सभी मौके पर कोई विवाद नही है अतः  
उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के उखरण मे कोई  
कार्यवाही नही चाहते है अतः पार्श्वीण  
का पार्श्वीण-पत्र वास्तु अस्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा - 212 R.T.A. का इसी स्तर  
पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली केसल नुमार देख कर दायीन  
दफ्तर से।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर सलूम्वर  
जिला सलूम्वर

मौके पर  
अपनी कार्य  
विवाद नही है  
इसलिए कोई  
कार्यवाही  
नही चाहते  
है।  
गौरी प्रसाद  
२३/०४/२४

सहायक कलक्टर सलूम्वर  
जिला सलूम्वर